

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २५] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी ३१, १९७३/माघ ११, १९७४

No. 25] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1973/MAGHA 11, 1974

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st January 1973

SUBJECT.—*Import of "Dates" (S. No. 21(b)/IV) from Iraq during September, 1971-August, 1972 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.*

No. 13-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to paragraph 2 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice, No. 156-ITC(PN)/72, dated 31st October, 1972, according to which the validity period of unutilized/partially utilized licences issued for import of "Dates" from Iraq for the period September, 1971-August, 1972 was extended upto 31st December, 1972.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences for import of "Dates" from Iraq issued during September, 1971-August, 1972 period, may be deemed to have been extended upto the 31st March, 1973, subject to the condition, that no further extension will be granted in respect of these licences. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports & Exports.

विवेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973

विषय.—आर्थिक आधार पर, सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 लाइसेंस अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” (क्रम संख्या: 21(बी)/4 का आयात—वैधता अवधि में वृद्धि।

संख्या 13—आई० टी०सी०(पी०एन)/73—आयातकों का ध्यान विवेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 156—आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 31 अक्टूबर, 1972 के पैरा 2 की ओर दिलाया जाता है जिसके अनुसार सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 की अवधि के लिए ईराक से “खजूरों” के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए/आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1972—तक बढ़ाई गई थी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निष्पत्ति किया गया है कि सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए/आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 31 मार्च, 1973 तक इस शर्त के अधीन बढ़ाई गई समझी जाए कि इन लाइसेंसों के लिए और आगे वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंसों पर पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयात अन्य सब बातों में उचित होंगे तो सीमा शुल्क प्राधिकारी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर माल की निकासी की अनुमति दंगे।

के० एम० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।